''ग्रामीण विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण'' (छत्तीसगढ़ के तखतपुर विकास खंड के ग्राम कुरेली के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. अनुपम कुमार तिवारी[1], ओमेश कुमार स्वर्णवंशी[2] एवं डॉ. शिवानी दीवान[3]
सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
[2]छात्र, पीजीडीआरडी, ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
[3]सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना–

'ग्रामीण विकास' एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान के केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। ग्रामीणों के आर्थिक विकास की बेहतर संभावनायें उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा ऋण और निवेश को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्तिया ंमें परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अनेक कार्यों का मिश्रण होना चाहिए जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली नये रोजगार उत्पन्न करने वाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने वाली, संचार सुविधाओं का विस्तार करने वाली तथा आवासीय स्थिति सुधारने वाली परियोजनायें सम्मिलित हों।ग्रामीण विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना।

राज्य द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये कार्यक्रमों को मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता हैः (अ) आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम (ब) रोजगार उन्मुख कार्यक्रम (स) शिक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (द) क्षेत्रीय कार्यक्रम।

समाज कल्याण विभाग अपने सीमित संसाधनों से निःशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, निराश्रित व्यक्तियों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। प्रदेश में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, राष्ट्रीय न्यास (स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क अंगाघात, मानसिक मंदता एवं बहुनिःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति कल्याण) अधिनियम 1999, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सकारात्मक एवं व्यावहारिक रूप में किया जा रहा है। राज्य में निःशक्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान से लेकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिये योजनाएं संचालित हैं।

वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधर लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्ड सरकार के द्वारा ग्रामीणों को दिया गया जिसका लाभ उन्हें सभी स्थानों पर मिल रहा है, प्रधानमंत्री जन–धन योजना के द्वारा बैंकों में खाता खोलना जिससे अधिकतम लोगों तक बैंकिंग सुविधा की पहुँच सुनिश्चित किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास हेतु सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, विविध पेन्सन योजनायें, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के द्वारा ग्रामीण जनों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा है ।

अध्ययन का औचित्य–

ग्रामीणों का विकास विशेषतः आर्थिक व सामाजिक कहीं न कहीं शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर आधारित है। ग्रामीण जन, साधन असंपन्नता के कारण, साथ ही आधारभूत संरचनाओं की हीनता के कारण सरकार की योजनाओं पर ही आश्रित होते जाते है क्योंकि यही योजनाएँ उन्हें बिजली , पानी, रोटी, कपड़ा, मकान व रोजगार प्रदान करती हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के पश्चात् से निरंतर ग्राम विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है । ग्रोमोत्थान के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित की जा रहा है । प्रत्येक योजना को बनाने के पूर्व उसकी रुपरेखा , मानक , समय सीमा, दायरा आदि को निर्धारित किया जाता है साथ ही योजना की कार्यविधि, बजट एवं लाभान्वित क्षेत्र या समुदाय की भी समीक्षा की जाती है। शोध ग्राम में ग्रामीण विकास के लिए शासन के द्वारा संचालित योजनाओं के विश्लेषण के पूर्व इन महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः विश्लेषण के पूर्व इन योजनाओं का अध्यन करना आवश्यक है ।

अध्ययन के उद्देश्य–

कुरेली ग्राम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा लाभान्वित ग्रामीणों के विषय में अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय –

जनगणना 2011 की जानकारी के अनुसार कुरेली गाँव का स्थान कोड या गाँव कोड 438643 है। कुरेली गाँव भारत के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले की तखतपुर तहसील में स्थित है। यह उप–जिला मुख्यालय तखतपुर से 27 किमी और जिला मुख्यालय बिलासपुर से 27 किमी दूर स्थित है। 2009 के आंकड़ों के अनुसार, कुरेली गाँव एक ग्राम पंचायत है।

Figure : कुरेली ग्राम का उपग्रह से लिया गया चित्र

भौगोलिक स्थिति

गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 40723 हेक्टेयर है। कुर्ली की कुल आबादी 1417 लोगों की है। कुरेली गाँव में लगभग 342 घर हैं। सकरी, कुरेली का निकटतम शहर है जो लगभग 18 किमी दूर है।

जनसांख्यिकी

कुरेली एक मध्यम आकार का गाँव है जो बिलासपुर जिले, छत्तीसगढ़ की तखतपुर तहसील में स्थित है, जिसमें कुल 342 परिवार रहते हैं। कुरेली गाँव की जनसंख्या 1417 है, जिसमें 709 पुरुष हैं जबकि 708 जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार महिलाएँ हैं।कुरेली गाँव में 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की आबादी 271 है जो गाँव की कुल आबादी का 19–12% है। कुरेली गाँव का औसत लिंग अनुपात 999 है जो छत्तीसगढ़ राज्य के 991 के औसत से अधिक है। जनगणना के अनुसार कुरेली के लिए बाल लिंग अनुपात 1297 है, जोछत्तीसगढ़ के औसत 969 से अधिक है। छत्तीसगढ़ की तुलना में कुरेली गाँव में साक्षरता दर कम है। 2011 में, छत्तीसगढ़ के 70–28% की

तुलना में कुरेली गाँव की साक्षरता दर 67-02% थी। कुरेली में पुरुष साक्षरता 80-88% है जबकि महिला साक्षरता दर 52-25% है।

भारत के संविधान और पं.राज अधिनियम के अनुसार, कुरेली गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का प्रतिनिधि होता है।

प्रतिभागी	कुल	पुरुष	महिलाए
कुल घर	342	-	-
जनसंख्या	1417	709	708
बालक	271	118	153
अनुसूचित जाति (एससी	511	258	253
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	110	58	52
शैक्षिक स्थिति	67.02 %	80.88 %	52.25 %
कुल कार्यरत व्यक्ति	604	340	264

कुरेली गाँव में, अधिकांश ग्रामीण अनुसूचित जाति से हैं। अनुसूचित जाति (एससी) का प्रतिशत 36-06% है। गांव में अनुसूचित जनजाति (एसटी) कुल जनसंख्या का 7-76% है। कुरेली गाँव में, कुल जनसंख्या में से 604 कार्य गतिविधियों में लगे हुए थे। 84-44%श्रमिकों ने अपने काम को मुख्य कार्य (6महीने से अधिक रोजगार या कमाई) के रूप में वर्णित किया है, जबकि 15-56% (6महीने से कम समय के लिए आजीविका प्रदान करने वाली सीमांत गतिविधि में शामिल थे। मुख्य कार्य में लगे 604 श्रमिकों में से 134 मालिक या सह–मालिक थे, जबकि 342 खेतिहर मजदूर थे। (आँकड़े जनगणना 2011 के अनुसार)

प्रयुक्त उपकरण-

इस अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने साक्षात्कार विधि का उपयोग किया है। इस विधि के लिए 50 व्यक्तियों का चयन किया गया है। यह चयन आकास्मिक चयन विधि पर आधारित है। माना गया है।

ग्रामीण विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण हेतु शोधार्थी के द्वारा अध्यन क्षेत्र कुरेली में साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग करते हुए 50 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया एवं जानने का प्रयास किया गया कि योजनाओं की कितनी जानकारी उन्हें है एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं । 50 व्यक्तियों में 42 पुरुषों एवं 8 महिलाओं को सम्मिलित किया गया ।

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की सामान्य जानकारी का विश्लेषण .

आयु- साक्षात्कार में 18 से 85 वर्ष के व्यक्तियों ने भाग लिया। साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष रहा ।

परिवार की संख्या- साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य हैं जिसमे पुरुषों की संख्या औसतन अधिक है। अधिकतर परिवार पुरुष प्रधान है ।

शैक्षिक स्थिति . साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में 70 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर जबकि 30 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं ।

व्यवसाय . साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में 40 प्रतिशत किसान, 56 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी, 2 प्रतिशत स्व–व्यवसाय एवं 2 प्रतिशत अन्य कार्य करते हैं ।

सांख्यकीय विश्लेषण

1. आधार कार्ड :

आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है की साक्षात्कार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के पास आधार कार्ड हैं एवं उन्हें इसके उपयोगिता की जानकारी है। वर्तमान में लगभग प्रत्येक योजना में पंजीकरण अथवा योजना का लाभ

लेने हेतु आधार संख्या की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार में दिए प्रतिक्रिया के आधार पर कह सकते हैं की गांव में लगभग सभी व्यक्तियों के पास आधार कार्ड है ।

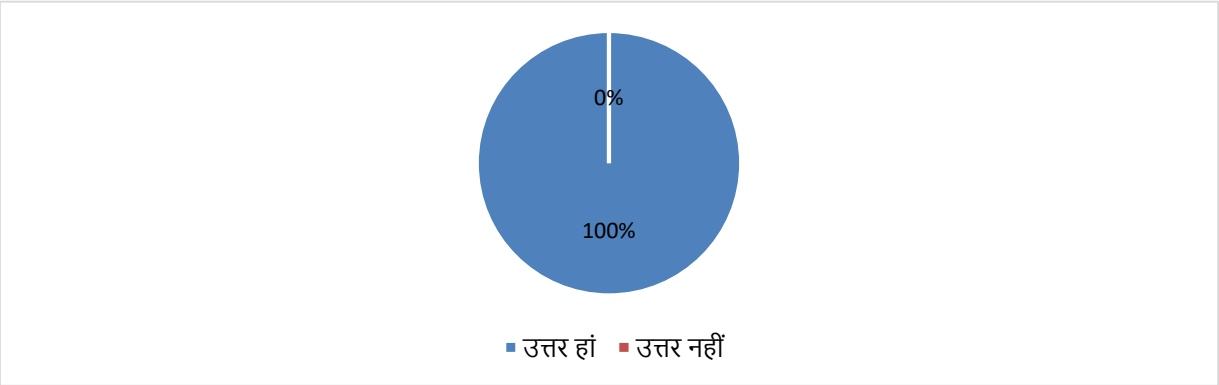

2. गरीबी रेखा

साक्षात्कार में शामिल 50 व्यक्तियों से 48 में कहा की वे गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं जबकि 2व्यक्तियों में ने बताया की वे गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं अर्थात 96 प्रतिशत लोग गांव में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । आंकड़ों के आधार पर यह भी विश्लेषण किया जा सकता है की गरीबी उत्थान की योजनाओं का गांव तक पहुँच अभी भी निम्नतम स्तर पर है । सरकार को गरीबी उत्थान कार्यक्रम की पुनः योजनाओं की समीक्षा करना चाहिए जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में आवश्यक सुधार हो सके ।

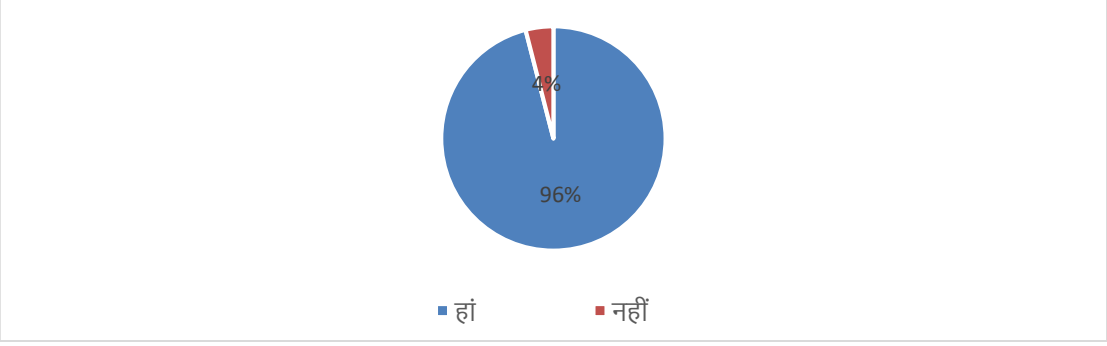

3. बैंक खाता

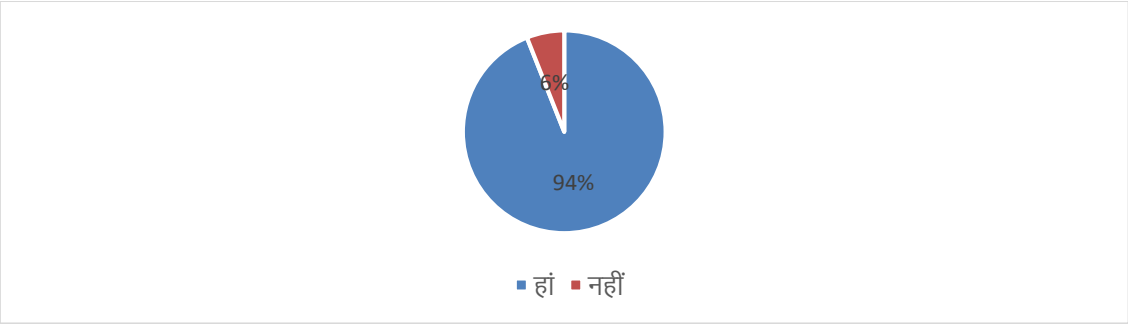

प्रतिभागी व्यक्तियों में से 92 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाता है एवं केवल 8 प्रतिशत व्यक्तियों के पास बैंक खाता नहीं है। आंकड़ों से यह स्पष्ट है की गांव में अधिकतर लोगों के पास बैंक खाता है एवं वे ऐसे संचालित करना भी जानते हैं । वर्तमान में ऐसे कई योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में आते हैं जिसे देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में बैंक में खाता खुलवाया गया है साथ ही जागरूकता अभियान के द्वारा भी व्यतियों के द्वारा बैंक खाता खुलवाया गया है ।96 प्रतिशत व्यक्तियों के पास बैंक खाता का होना प्रदर्शित करता है की ग्रामीण जीवन अब बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गया है ।

4. बैंक खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाया गयाखाता:

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जन–धन योजना के द्वारा साक्षात्कार में शामिल लोगों में से 78 प्रतिशत लोगों में अपना बैंक खाता खुलवाया है जबकि 22 प्रतिशत व्यक्तियों के पास पहले से बैंक खाता है । वर्तमान समय में सभी आयुवर्ग के व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है अतः योजना की पहुँच सभी तक करते हुए गांव के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाने का प्रयास किया जाना चाहिएतथा 100 प्रतिशत लोगों तक बैंकिंग प्रणाली की पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए ।

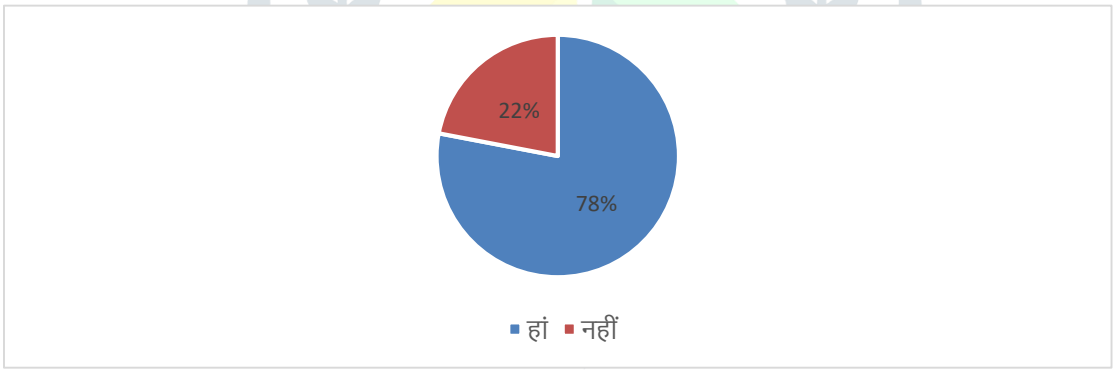

5. प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में जानकारी-

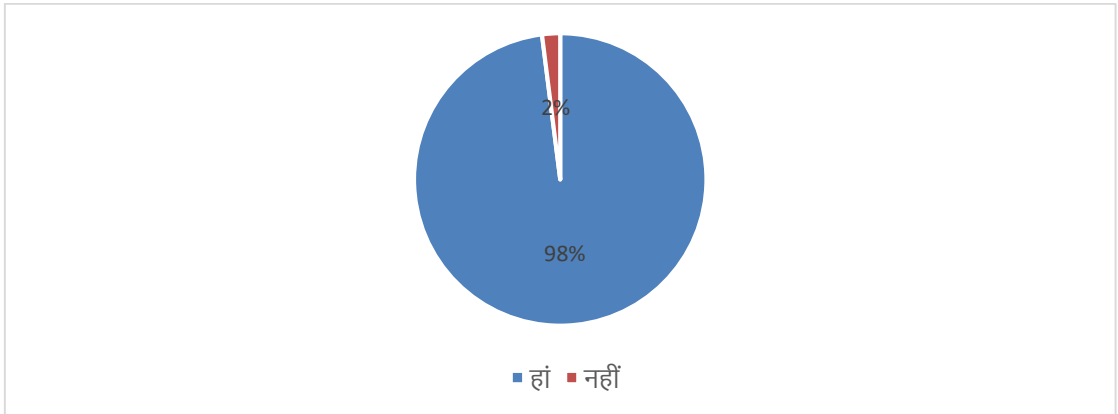

गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी 98 प्रतिशत व्यक्ति को है साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में से केवल 2 प्रतिशत ही व्यक्ति को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है की गांव में 98 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी है । अतः यह कहा जा सकता है की प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रसार पुरे ग्राम में हुआ है । ग्राम में आवास मित्र इस योजना से सम्बंधित जानकारी ग्रामीण को देते हैं जिससे इस योजना के विषय में ग्रामीणों को पूरी जानकारी है ।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना सेलाभ सम्बंधित जानकारी:

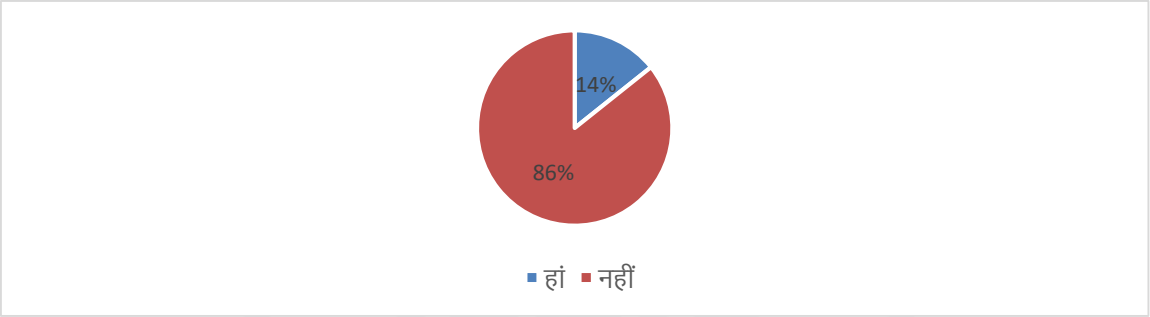

प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में साक्षात्कार में शामिल लोगों में से केवल 14 प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है जबकि 86 प्रतिशत व्यक्ति अभी इस योजना के लाभार्थी सूची में स्थान नहीं बना पाए हैं, गांव में योजना की समुचित जानकारी होने के बाद भी 86 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, अतः सक्षम अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को इस योजना में लाभार्थी की संख्या को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए ।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में जानकारी:

साक्षात्कार में शामिल 72 प्रतिशत लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी है एवं 28 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी नहीं है, आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है की इस योजना का प्रसार शोध ग्राम में एक बड़े स्तर पर हुआ है, शेष जो व्यक्ति इस योजना के विषय में नहीं जानते उनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो कृषि व्यवसाय नहीं करते हैं ।

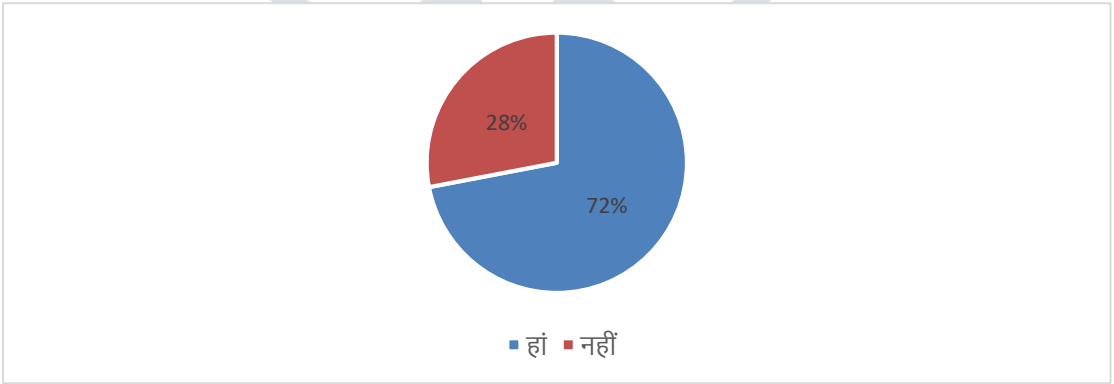

8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ सम्बंधित जानकारी:

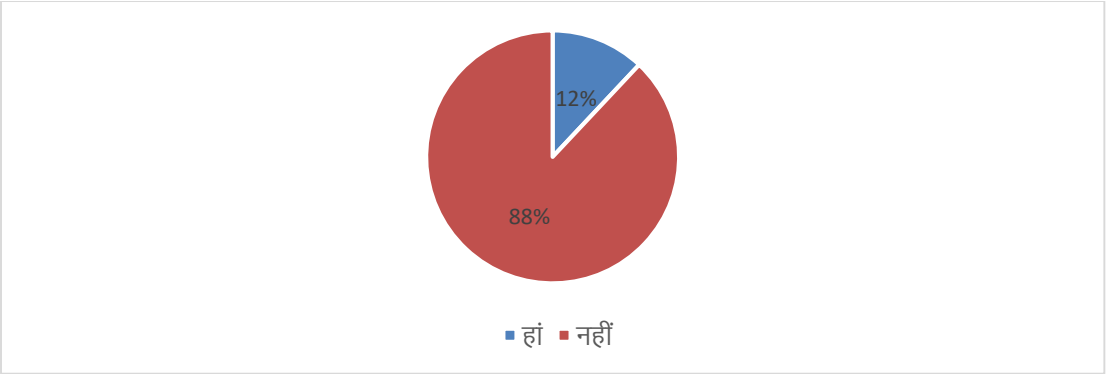

प्रधानमंत्री फसल बीमा से प्रतिभागियों में से केवल 6 प्रतिशत व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त हुआ है जबकि 88 प्रतिशत व्यक्तियों ने एस योजना का लाभ नहीं उठाया है, इस विश्लेषण का एक पक्ष यह भी है की प्रतिभागियों में 44 प्रतिशत कृषक हैं जबकि 56 प्रतिशत प्रतिभागी मजदूरी करते हैं अतः कह सकते हैं की एस योजना का में लाभार्थियों की संख्या में निश्चित तौर पर बढ़ानी चाहिये तथा योजना के अनुसार सभी कृषकों को फसल का बीमा अवश्य करवाना चाहिए ।

9. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में जानकारी :

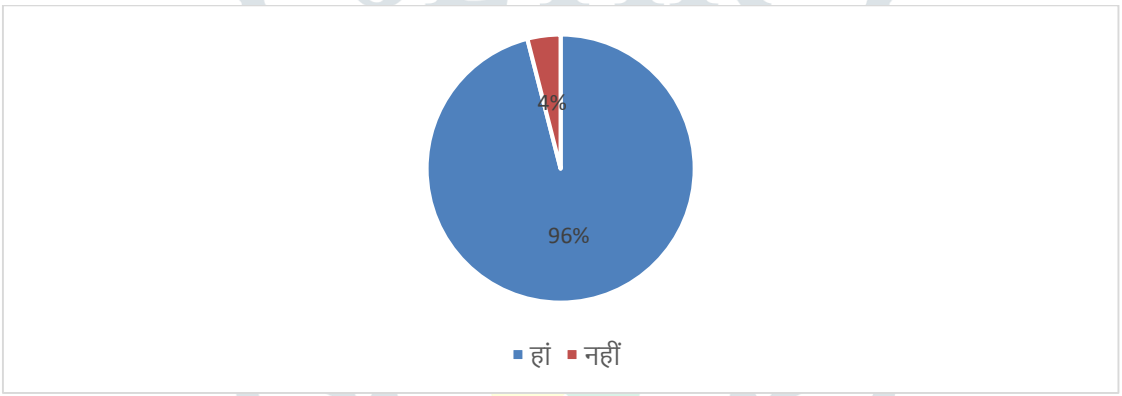

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में लगभग सभी प्रतिभागियों को जानकारी है, 96 प्रतिशत लोगों ने अपने साक्षात्कार के दौरान इसके विषय में जानकारी होना बताया, जबकि केवल 4 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी । अतः आंकड़ों के विश्लेषण से यह कह सकते हैं की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कम समयांतराल में व्यापक प्रसार हुआ है । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में लगभग सभी प्रतिभागियों को जानकारी है। अतः आंकड़ों के विश्लेषण से यह कह सकते हैं की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कम समयांतराल में व्यापक प्रसार हुआ है ।

10. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभ सम्बंधित जानकारी :

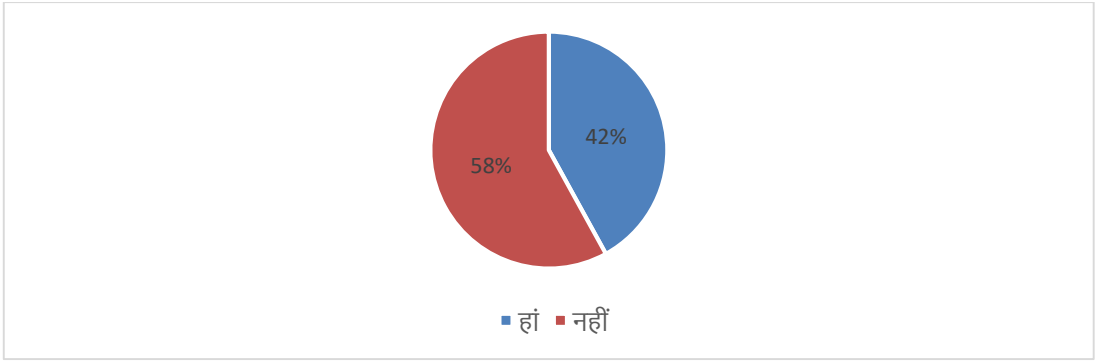

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से समस्त प्रतिभागियों में 42 प्रतिशत को लाभ मिला है जभी 58 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अभी भी उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है । आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य भी सामने आता है की साक्षात्कार में शामिल अधिकतर व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके वे आज भी अपना भोजन पकाने हेतु लकड़ी अथवा उपलों पर निर्भर हैं ।

11. सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में जानकारी:

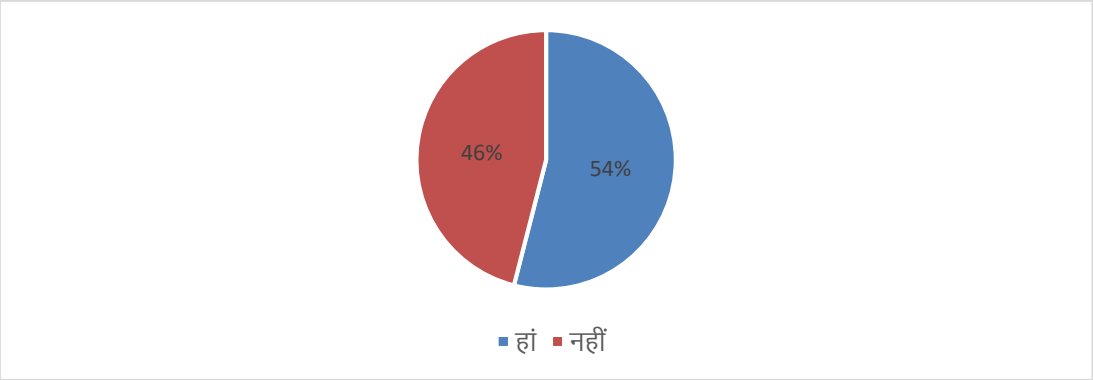

सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में साक्षात्कार में शामिल 46 प्रतिशत व्यक्तियों को जानकारी है, योजना के विषय में जब उनसे पूछा गया तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानकारी आधी अधूरी ही बताई गयी, कुछ व्यक्तियों ने योजना का नाम अखबार टीवी आदि के माध्यम से सुनना बताया, जबकि 54 प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा की वे इस योजना के विषय में जानकारी नहीं रखते । आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य ज्ञात होता है की योजनाओं को जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति को इस विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे वह आवश्यकता अनुसार लोगों को इस विषय में जानकारी दे सके ।

4.12 सुकन्या समृद्धि योजनासेलाभ सम्बंधित जानकारी:

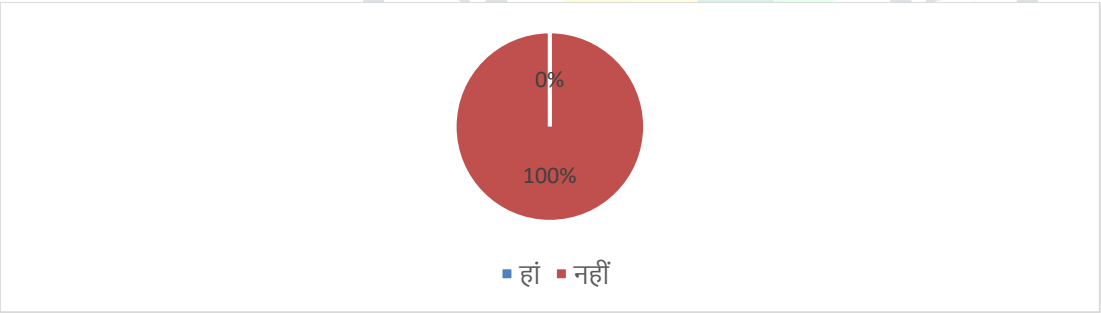

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों के अनुसार अभी तक उनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं उठाया गया है, चूँकि यह एक लम्बी अवधि की योजना है एवं केवल बालिकाओं के लिए ही है इसलिए लाभान्वित 0 %हैं जबकि अलाभान्वित प्रतिशत 100%है । बालिकाओं के भविष्य के लिए लिए यह एक अच्छी पहल शासन के द्वारा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के विषय में और अधिक प्रसार शासन के द्वारा किया जाना चाहिए ।

13. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंसन योजना के विषय में जानकारी है:

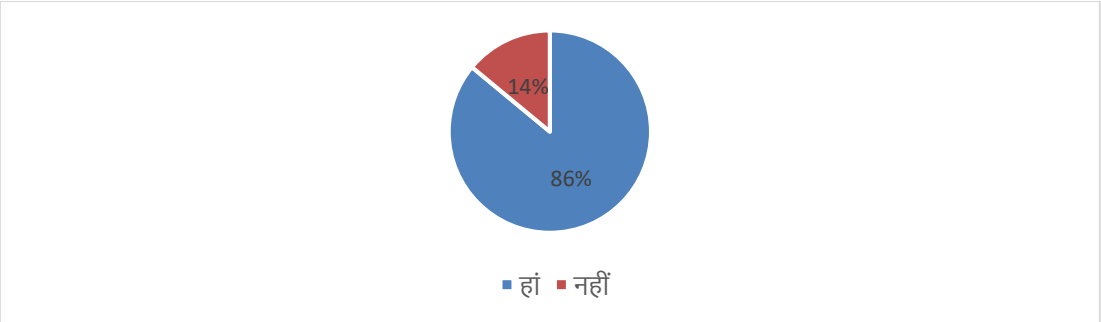

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में 86 प्रतिशत व्यक्तियों को जानकारी है जबकि 14 प्रतिशत व्यक्तियों ने इस योजना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर किया है ।

14. "इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना" से लाभार्थी :

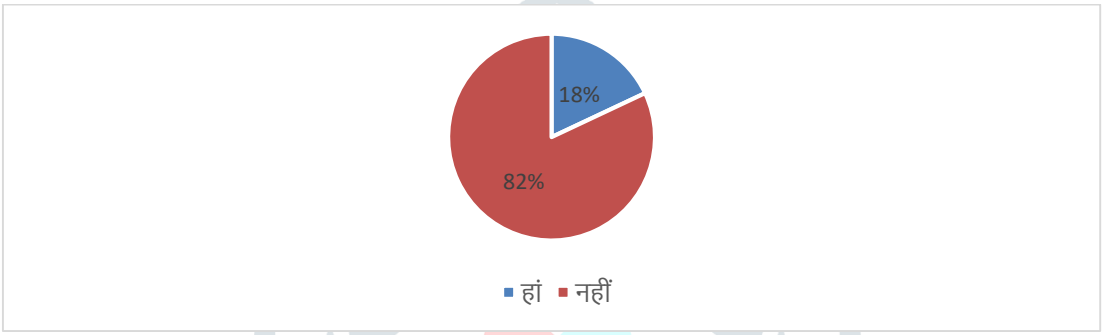

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में 18%व्यक्तियों को इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

4.15 "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" के विषय में जानकारी –

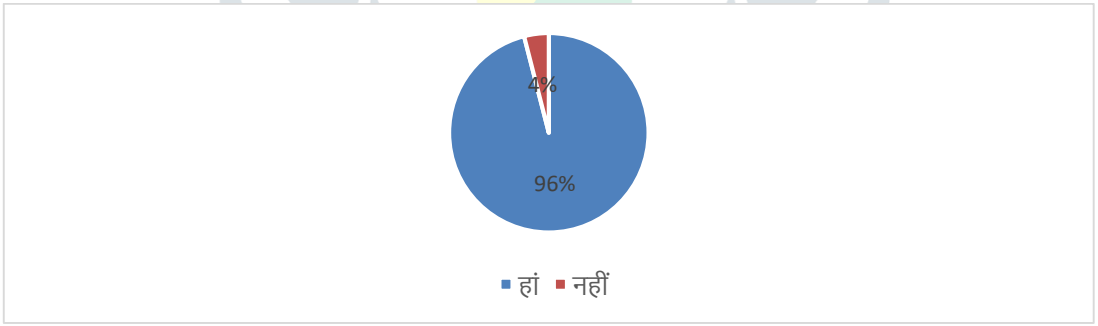

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में 96 प्रतिशत को व्यक्तियों को जानकारी है जबकि केवल 4 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी नहीं है ।

16. "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" से लाभार्थी :

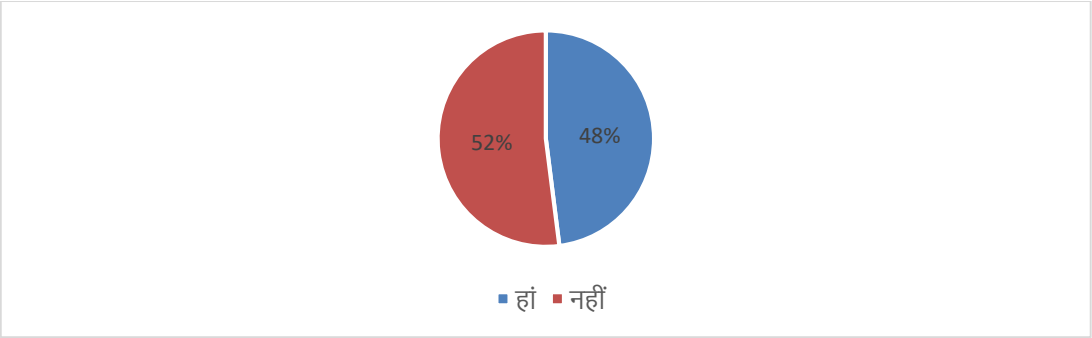

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ 52 प्रतिशत प्राप्त हुआ है जबकि 48 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है । महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गारंटी योजना देश भर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है इसलिए ऐसे योजनाओ का प्रसार अति आवश्यक है ।

17. "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" के विषय में जानकारी :

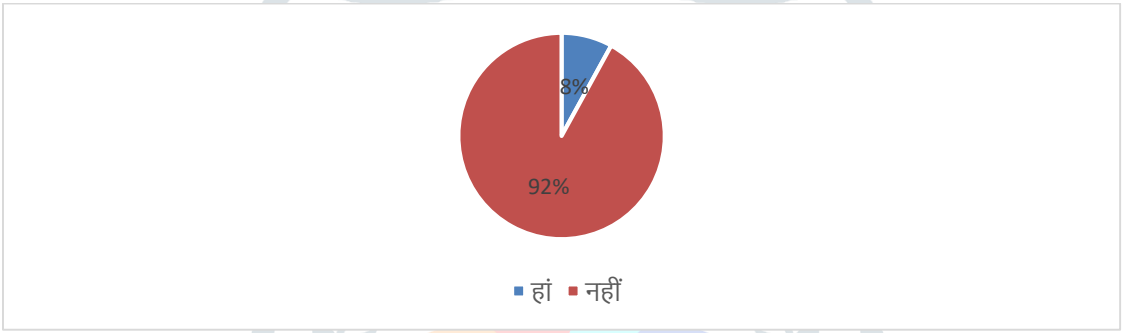

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में से 92 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना के विषय में जानकारीनही है जबकि 8 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी है , चूँकि इस योजना का दायरा एक निश्चित आयु वर्ग के लिए है इसलिए इस योजना की जानकारी प्रतिभागियों को नहीं है ।

18. "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" से लाभार्थी :

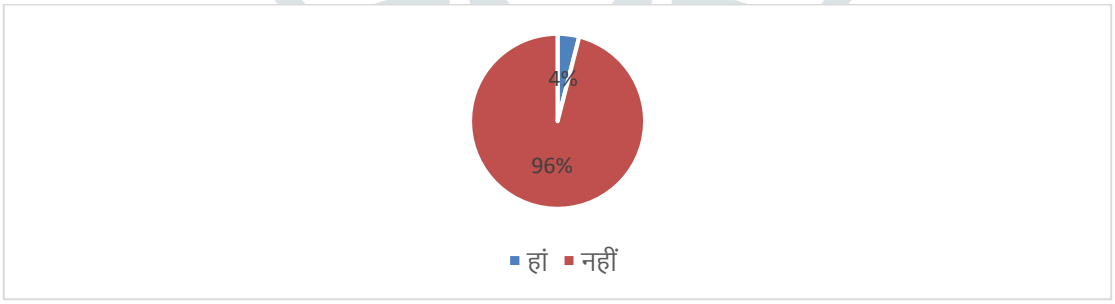

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में से 4 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला है जबकि 96 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, चूँकि इस योजना का दायरा एक निश्चित आयु वर्ग के लिए है इसलिए इस योजना का लाभ प्रतिशत कम है ।

19 "सुखद सहारा योजना" के विषय में जानकारी :

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में से 94 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना के विषय में जानकारी नहीं है जभी प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी है , चूँकि इस योजना का दायरा एक निश्चित आयु वर्ग के लिए है इसलिए इस योजना की जानकारी प्रतिभागियों को नहीं है ।

20. "सुखद सहारा योजना" से लाभार्थी :

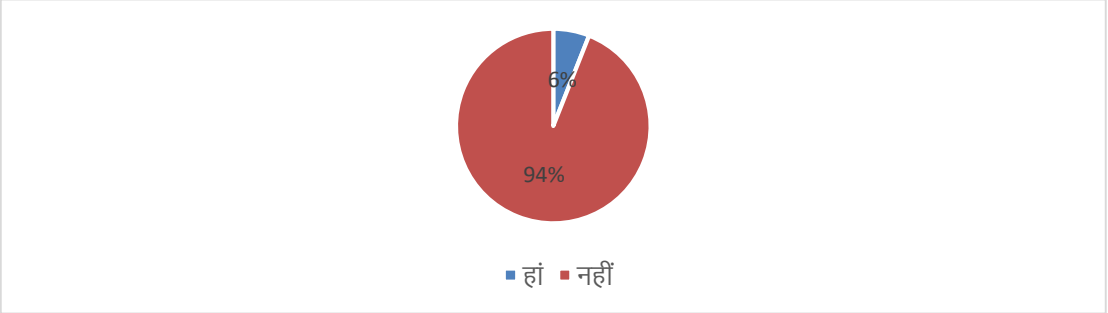

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों में से 6 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला है जभी 94 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, चूँकि इस योजना का दायरा एक निश्चित आयु वर्ग के लिए है इसलिए इस योजना का लाभ प्रतिशत कम है । आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है की जितने व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी है उतने ही% व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है ।

21 "मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना" के विषय में जानकारी :

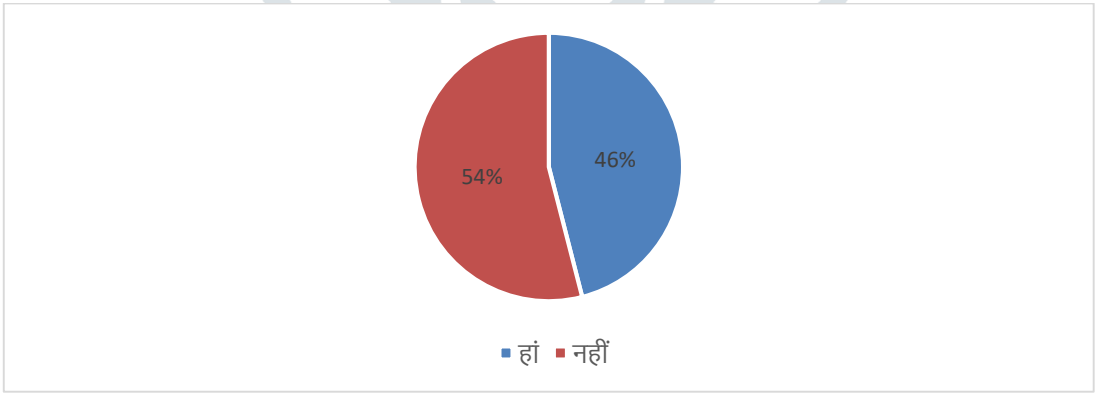

युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गयी थी, साक्षात्कार में शामिल कुल प्रतिभागी में से 46%व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी है जबकि 54 प्रतिशत को इस योजना की जानकारी नहीं है । चूंकि इस साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल हुए हैं इसलिए जानकारी का प्रतिशत कम हुआ है ।

22. "मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना" के लाभार्थी :

साक्षात्कार में शामिल कुल प्रतिभागी में से 98 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जबकि केवल 2 प्रतिशत को इस योजना से लाभ हुआ है ।

23."मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना" के विषय में जानकारी :

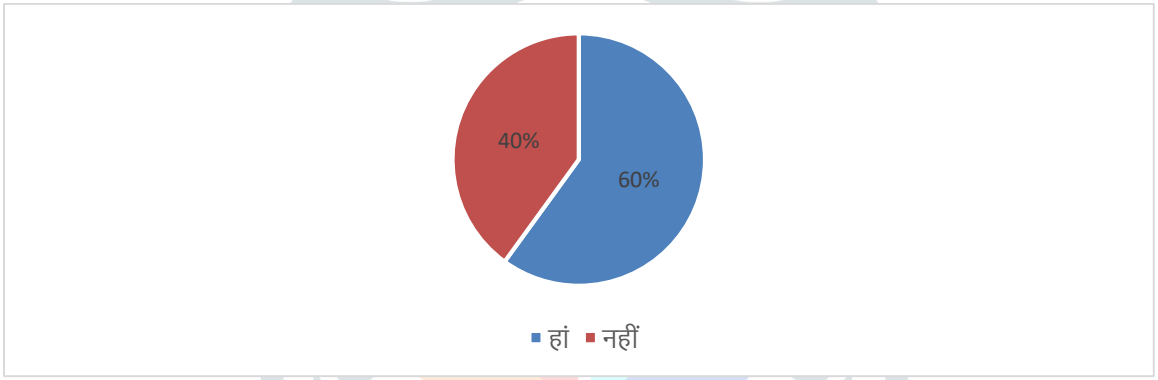

मुख्यमंत्री आतंरिक गली विद्युतीकरण योजना के विषय म 60 प्रतिशत व्यक्तियों को जानकारी जबकि 40 प्रतिशत लोग इस योजना की जानकारी नहीं रखते हैं।

24"मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना"लाभार्थी

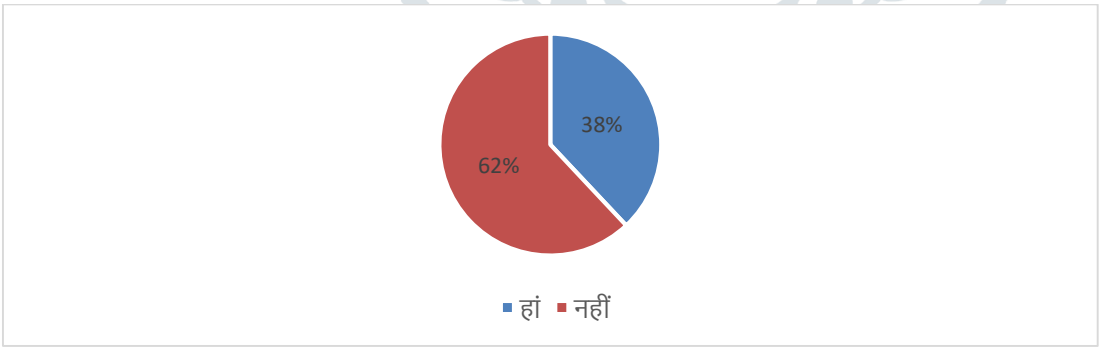

मुख्यमंत्री आतंरिक गली योजना के केवल 38 % प्रतिभागी ही लाभ लिए हैं शेष 62 % व्यक्तियों के यहाँ आया तो विद्युतीकरण पहले से हो चूका था या वे अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं ।

4.25"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना" के विषय में जानकारी :

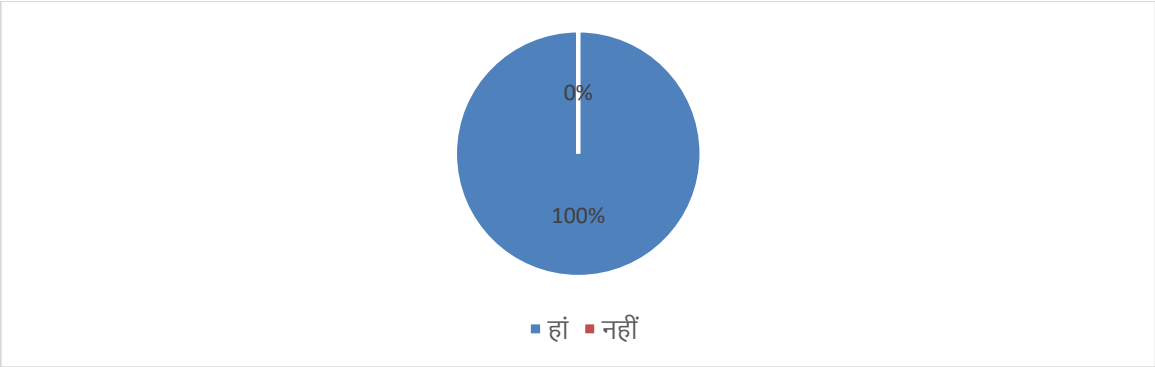

साक्षात्कार में शामिल हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना की जानकारी है।यह प्रदर्शित करता है की इस योजना का प्रसार बहुत ही व्यापक स्तर में हुआ है ।

26"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना" लाभार्थी :

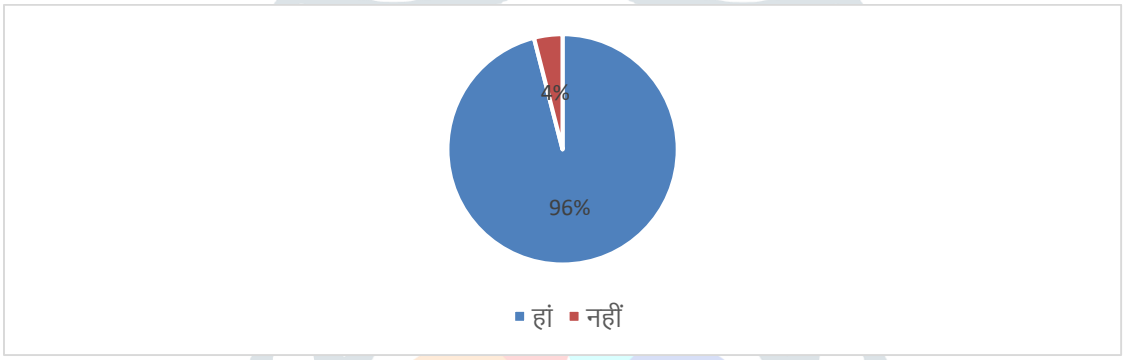

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का लाभ साक्षात्कार में शामिल लगभग सभी व्यक्ति ले रहे हैं, चूँकि यह 4 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से उपर उठ चुके हैं इसलिए वे इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं ।

27"मुख्यमंत्री कृषक जीवन ज्योति योजना" के विषय में जानकारी :

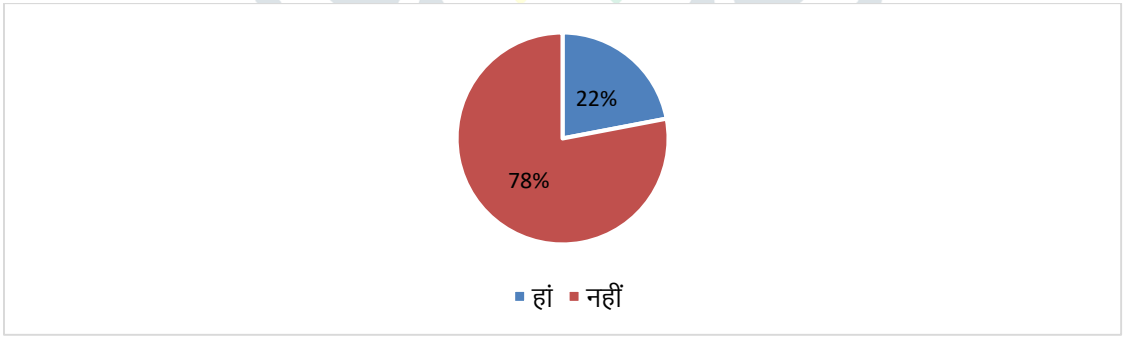

"मुख्यमंत्री कृषक जीवन ज्योति योजना" के विषय में78 प्रतिशत व्यक्तियों को नहीं जानकारी है जबकि 22 प्रतिशत व्यक्तियों को इस योजना के विषय में जानकारी है ।

28"मुख्यमंत्री कृषक जीवन ज्योति योजना" के लाभार्थी :

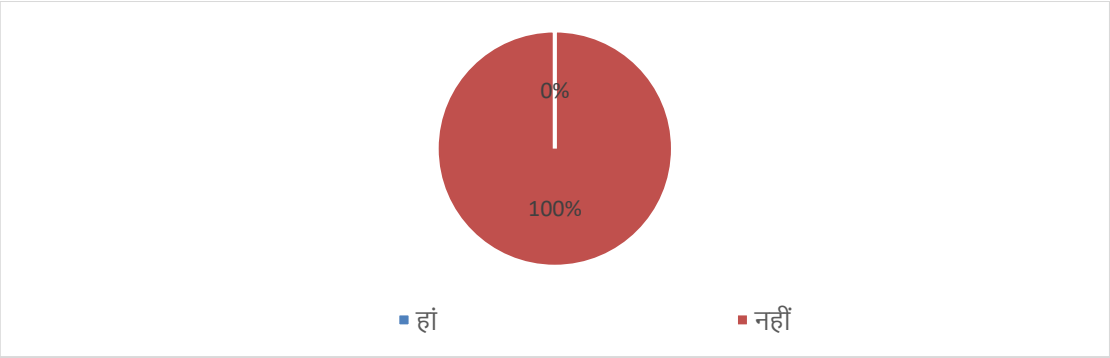

"मुख्यमंत्री कृषक जीवन ज्योति योजना" का लाभ किसी भी व्यक्ति जो साक्षात्कार में शामिल है ने नहीं लिया है द्य जिससे स्पष्ट होता है की इस योजना का क्रियान्वयन अध्यन क्षेत्र में कम हुआ है ।

29"मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना" के विषय में जानकारी :

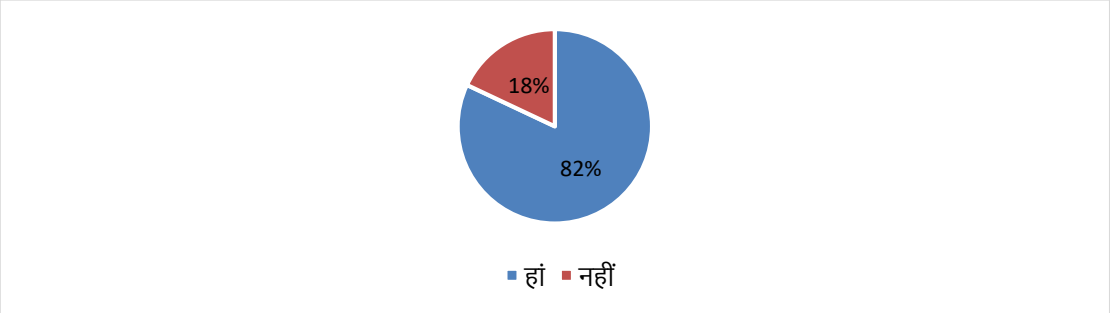

"मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना" के विषय में जानकारी 82 प्रतिशत व्यक्तियों को है जबकि 18 प्रतिशत व्यक्ति इस योजना के विषय में अभी नहीं जानते ।

30"मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना" के लाभार्थी :

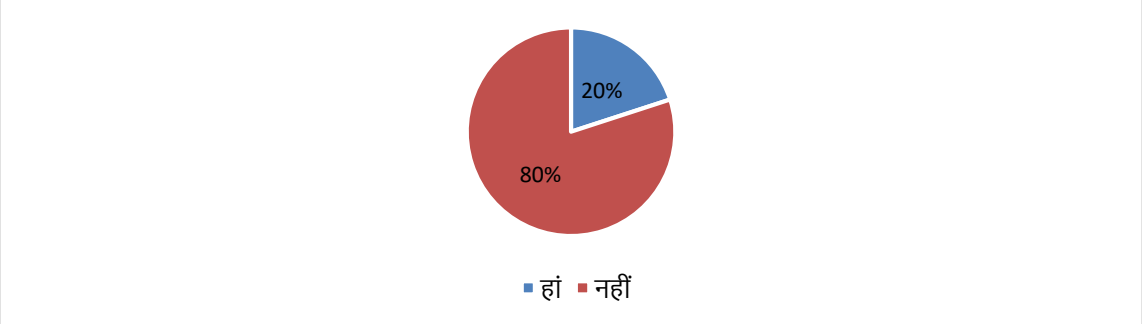

"मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना" का लाभ 20 प्रतिशत व्यक्तियों के परिवार को हुआ है, चूँकि यह विद्यालय से जुडी हुई योजना है इसलिए इस साक्षात्कार में इसके लाभार्थियों का प्रतिशत कम प्रतीत हो रहा है ।

31"शाकम्भरी योजना" के विषय में जानकारी :

"शाकम्भरी योजना" के विषय में जानकारी किसी भी साक्षात्कार में शामिल व्यक्ति को नहीं है ।

32"शाकम्भरी योजना" के लाभार्थी :

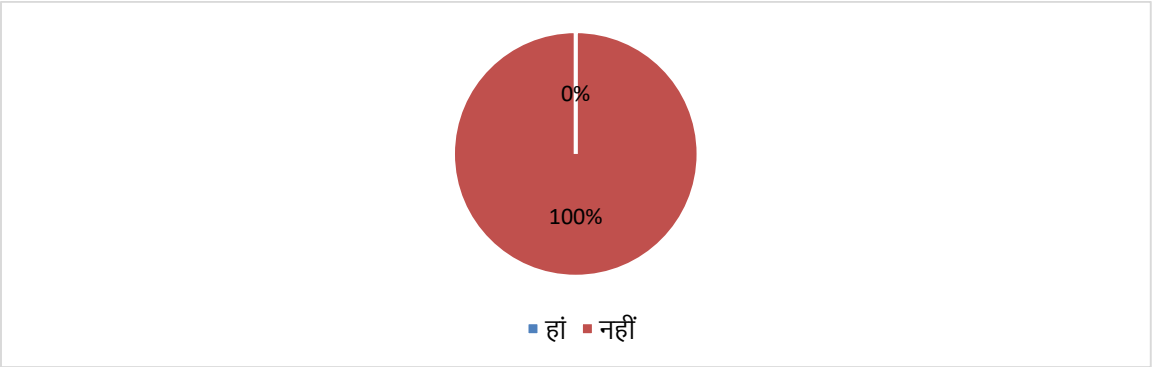

"शाकम्भरी योजना" के विषय में जानकारी किसी भी साक्षात्कार में शामिल व्यक्ति को नहीं है। इसलिए इसके लाभार्थियों की संख्या भी 0 है।इस योजना को वृहद् प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है ।

साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों को जब पूछा गया की उपरोक्त योजनाओं के अलावा क्या उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी है ? तो 43 व्यक्तियों ने कहा वे अन्य सरकारी योजनाओ के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं जबकि 7 व्यक्तियों ने अन्य योजनाओं की जानकारी होना बताया । इस प्रकार आंकड़ों के वर्गीकरण, विश्लेषण से अनेक प्रकार की जानकारी मिला है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण जीवन में उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा आवश्यक है एवं आंकड़ों से प्राप्त जानकारी का निष्कर्ष निकलना भी आवश्यक है ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रामीण विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के विश्लेषण हेतु शामिल50 व्यक्तियों जिसमें हर आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल थे, साक्षात्कार पद्धति से प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया गया उनसे जानने का प्रयास किया गया की वे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में कितनी जानकारी रखते हैं साथ ही साक्षात्कार में उनसे यह भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, साक्षात्कार के सांख्यिकीय निरूपण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण से अनेक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं । साक्षात्कार के दौरान यह भी तथ्य सामने आया की कई योजनाओं का गांव में बहुत ही व्यापक प्रसार हुआ है जबकि कई योजनाओं के विषय में किसी को जानकारी नहीं है । कुछ योजनाओं का की जानकारी का प्रतिशत संतोषजनक है जबकि। साक्षात्कार में 70 प्रतिशत शिक्षित व्यक्तियों ने भाग लिया था एवं 30 प्रतिशत ऐसे थे जो अशिक्षित थे। ग्रामीण मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं मुजदुरी कार्य कर निर्भर हैं ।

साक्षात्कार में निधारित प्रश्नावली का प्रयोग शोधार्थी के द्वारा किया गया था । प्रश्नों के दिए उत्तर के आधार पर यह स्पष्ट है की गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तथा वे इसकी उपयोगिता को जानते हैं । गांव की अधिकतर

जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है । ग्राम के अधिकतर व्यक्तियों का बैंक खाता है एवं वे ऐसे उपयोग करना जानते हैं इसमें में अधिकतर बैंक खाते उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुलवाए हैं । गांव में प्रधानमंत्री योजना के विषय में अधिकतर व्यक्तियों को जानकारी है जिससे उन्हें इस योजना के अंतर्गत मिले वाले लाभ के लिए अपना नाम पंजीबद्ध किया है, इस योजना के तहत गांव में आवास निर्माण का कार्य सुचारू रूप से प्रगतिशील है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी साक्षात्कार में अधिकतर प्रतिभागी रखते हैं परन्तु इस योजना के लाभार्थियों की कम संख्या प्रदर्शित करती है की इस योजना को अधिक प्रसार की जरूरत है । साथ ही ग्रामीण प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के विषय में ज्ञान रखते हैं तथा इस योजना के लाभार्थियों की संख्या संतोषजनक है । सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी तथा लाभार्थियों की संख्या निम्नतम है, चूँकि यह योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है इसलिए इस योजना में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए । इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना एक राष्ट्रीय योजना है इसके लाभार्थियों की संख्या ग्राम में संतोषजनक है । इसी प्रकार से महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाती, आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होता है की ग्रामीणों को इसकी जानकारी तो है परन्तु इसके लाभार्थियों की संख्या अभी भी कम है अतः ऐसे रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं को ग्राम में अधिक प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के लिए पलायन की समस्या को कम किया जा सके । सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ साक्षात्कार में शामिल योग्य प्रतिभागी उठा रहे हैं जबकि सुखद सहारा योजना के लाभार्थियों की संख्या कम है । युवाओं को रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के विषय में साक्षात्कार में शामिल लोगों को ज्ञान तो है पर अभी इस योजना में लाभार्थियों की संख्या कम है ।विद्युत आज के परिवेश में एक मुख्य आवश्यकताओं में से एक है इसलिए प्रत्येक घर में विद्युतीकरणहो ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास सम्बंधित विभाग को करना चाहिए ।

गांव की अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं इसलिए मुख्यमंत्री खाद्यानयोजना के विषय में ग्रामीण जानकारी रखते हैं । इस योजना के लाभार्थियों की संख्या भी उचित स्तर पर है । मुख्यमंत्री कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री सरस्वती सायकल योजना एवं शाकम्भरी योजना के लाभार्थियों की संख्या भी बहुत कम है अतः ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रसार अत्यंत आवश्यक है ।

साक्षात्कार से निष्कर्ष में ज्ञात होता है की ग्राम योजनाओं के विषय में जानकारी तो रखते हैं परन्तु यह नहीं जानते की वे उक्त योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं । चूँकि गांव में साक्षरता प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की कम है इसलिए गांव में बालिका शिक्षा को विशेष महत्व की आवश्यकता है । गांव में योजनाओं का प्रसार एवं उन्हें जब भी कोई भी योजना क्रियान्वित होती है तो ग्राम पंचायत स्तर पर सक्षम व्यक्तियों अथवा अधिकारियों द्वारा योजना का उन्मुखीकरण कार्यक्रम करना चाहिए जिससे वे योजनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें ।

सुझाव

- गांव में प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड हो जिससे वे शासन के द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें ।
- गांव में शिक्षा प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम है अतः बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देखा चाहिए।
- नई योजनाओं के क्रियान्वयन होने पर सक्षम व्यक्तियों को उन्मुखीकरण कार्यक्रम के जरिये से ग्रामीणों को योजना की जानकारी प्रदान करना चाहिए ।
- सरकारी योजनाओं का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाया जा सके ।
- ग्राम में सरकार के द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले इस बात का प्रयास पंचायत स्तर में किया जाना चाहिए ।
- ग्राम पंचायतों में होने वाली सभाओं में सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए ।

- सूचना एवं तकनीकों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए जिससे योजना के सम्बन्ध में ग्रामीण अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

संदर्भ गंथ सूची

1. "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रति ग्रामीण जनों की अज्ञानता" दृ नरेश कुमार (इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविध्यालय)
2. "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" (2011–12) मिर्जा हसन बेग (इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय)
3. "विश्व दरिद्रता पर हमला" विश्व बैंक
4. "भारत में ग्रामीण विकास–2011"– डॉ सी के पन्त
5. "ग्रामीण विकास–2012" डॉ नरेन्द्र सिंह बी चौहान
6. "ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन–2000"– पी. एन. पांडेय
7. कुमार अभय : ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मूल समस्यायें, कुरूक्षेत्र, वर्ष 36 अंक 12, 1991, पृ. 68–74
8. रसीद अब्दुल : ग्रामीण विकास क्या है? कुरूक्षेत्र, वर्ष 37 अंक 5, 1992, पृ. 15
9. टी.एल. स्मिथ – दि सोसियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ
10. https://hi.wikipedia.org
11. https://www.census2011.co.in/data/village/438643-kureli-chhattisgarh.html
12. https://sw.cg.gov.in